

तारीख हुक्म	<p>हुक्म वा कार्यावाही मय इनिशियल्स जज गिरीन्द्र पाल सिंह रावौड निवासी माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज०)</p> <p>बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, माण्डल प्रकरण संख्या :- 63/2023 जीसीएमएस नं. :- (अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)</p>	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हूए
<p>14.02.2024</p>	<p>—: निर्णय :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. पत्रावली आज पेश हुई । उभयपक्ष अनुपस्थित । 2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन-पत्र दिनांक 25.08.2023 में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, माण्डल से चाही गई थी, परन्तु रेस्पोंडेंट के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर रेस्पोंडेंट से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है। 3. लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, माण्डल ने जरिये पत्रांक/सू.का.अधि./प्र0सं0/63/2023/04 दिनांक 12.01.2024 से इस न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वांछित सूचना/जवाब कार्यालय के पत्रांक/सूचना का अधिकार/2024/02 दिनांक 11.01.2024 द्वारा उपलब्ध करवा दी गई है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें। 4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, माण्डल द्वारा अपीलार्थी को प्रेषित सूचना/जवाब के विपरीत अपीलार्थी की ओर से किसी प्रकार की आपत्ति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित होगा कि रेस्पोंडेंट द्वारा प्रेषित प्रत्युत्तर अपीलार्थी को प्राप्त हो गया है तथा वह रेस्पोंडेंट के जवाब से संतुष्ट है। 5. अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। 6. निर्णय आज दिनांक 14.02.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफतर हो। 	

(नमित मेहता)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
लोक सूचना एवं जिका कलक्टर, भीलवाड़ा
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा